बस यूं ही...

शांता पारेख, इन्दौर
9425311944

प्रयोगशाला

सबसे फालतू तो शिक्षा विभाग हैं जिसे प्रयोगशाला हर विभाग की कह सकते हैं. फरवरी में परीक्षा हैं अध्यापक एस आई आर में लगे हैं, वहां भी सिर पर तलवार लटकी हैं, लोग विवाह समारोह में गए हैं, जब आएंगे, जानकारी दे देंगे.वह एक कहानी हैं जिसमे तेल का भरा कटोरा लेकर एक बंदा महल देखने जाता हैं, शर्त ये कि तेल गिरा तो गर्दन उड़ा डी जाएगी, उसने महल नहीं देखा सिर्फ कटोरा देखा. कभी जनगणना, परिवार नियोजन, चुनाव ड्यूटी में लगते माट्साब, उनके बच्चे स्कूल की धूल सिर पे डाल खुश होते रहते, हंसो मत उनकी क्लास डिजिटल हैं व स्मार्ट टी वी हैं.

बस कभी कभी बिजली आती हैं बाक़ी दर्शनीय वस्तुओ का दर्शन करो, जब घंटी बजे मध्यान्ह भोजन करो भर पेट. घर् जाके सरकारी बांटा अनाज खा लेंगे ही. कुपोषित मा हैं बाप हर गली में खुले मदिरालय का स्थायी उपभोक्ता हैं. हम तेज़ी से बढ़ते देश में रहते हैं जी डी पी शानदार हैं गुरुपूर्णिमा व शिक्षकदिवस पूरी श्रद्धा से मनाते हैं, सभी संस्थाएं आदर से बुला कर शौल श्रीफल देती व मंच पर मन की बात कहने का अवसर देती हैं. शिक्षक तीन दिन राष्ट्रपति के मेहमान बनते व शानदार शिक्षक सम्मान लेके आते हैं. धन्य प्रयोगशाला, व शालाये हैं हमे गर्व हैं कि गुरु को भगवान से बडा माना हैं।

भागीरथपुरा में मौतों को लेकर कांग्रेस का धरना ...

जीतू पटवारी के नेतृत्व में राजवाड़ा पर हुआ आंदोलन

इंदौर (नवीन मौर्य)। भागीरथपुरा में दूषित पानी से 31 लोगों की मौत हो जाने के मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के द्वारा राजबाडे पर धरना दिया गया।

राजबाड़ा में जुटे कांग्रेसी, मृतकों के परिवार को एक करोड़ मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग

कांग्रेस ने की मृतकों के परिजनों को एक करोड़ के मुआवजे की मांग

कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रभारी दीपू यादव ने बताया कि भागीरथपुरा में हुई इस घटना के संदर्भ में हर पीड़ित के परिवार को एक करोड रुपए का मुआवजा देने सरकारी नौकरी देने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की कांग्रेस ने मांग की है।

इसके साथ ही कांग्रेस की मांग है कि नागरिकों को शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए ताकि शहर में कहीं भी और भागीरथपुरा जैसा हादसा नहीं हो। इसके साथ ही इस घटना के लिए जिम्मेदार प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया जाएं।

इन मांगों को लेकर कांग्रेस के द्वारा राजवाड़ा पर धरना दिया गया। इस धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस की इंदौर संभाग की प्रभारी सचिव उषा नायडू, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा है कि इन मांगों को लेकर उसके द्वारा पूर्व से ही अभियान चलाया जा रहा है।

यह अभियान आगे भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर रहेगा। ध्यान रहे कि इसके पहले कांग्रेस न्याय यात्रा निकालकर इन पीड़ितों को न्याय देने की आवाज बुलंद कर चुकी है। राज्य सरकार के द्वारा अभी तक मृतकों के परिवार के लिए कोई मुआवजा भी घोषित नहीं किया गया है। इंदौर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के फंड से मात्र 2-2 लाख रुपए की राहत राशि दी गई है। कांग्रेस की मांग है कि मृतकों के परिजन को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषी अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो....।

बिना वैध अनुमति के नहीं होंगी पेड़ कटाई, हाईकोर्ट ने रोक लगा सरकार से ट्री ऑफिसर नियुक्त करने का कहा

इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ में शहर में लगातार पेड़ों को काटे जाने के संदर्भ में मप्र वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा 4 और 6 के प्रावधानों के पालन को लेकर सवाल उठाते लगाई याचिका पर सुनवाई दौरान सख्त रुख अपनाते कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब तक राज्य सरकार विधिवत रूप से ट्री ऑफिसर की नियुक्ति नहीं करती, तब तक किसी भी अनुमति के आधार पर पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती।

याचिका डॉ. अमन शर्मा द्वारा दायर की गई है। सुनवाई दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने कोर्ट को बताया कि अधिनियम के तहत ट्री ऑफिसर नियुक्त करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है।

इसके बावजूद इंदौर नगर निगम आयुक्त को अधिसूचना के जरिए ट्री ऑफिसर घोषित किया गया। इसी हैसियत से वे नगर निगम की विभिन्न परियोजनाओं के लिए पेड़ कटाई की अनुमति वे स्वयं ही दे रहे हैं।

कोर्ट ने इसे हितों के टकराव का मामला मानते हुए अनुचित ठहराते अपने 18 दिसंबर 2024 के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस एजेंसी द्वारा विकास कार्य किया जा रहा हो, वही एजेंसी स्वयं को पेड़ काटने की अनुमति नहीं दे सकती।

इसी आधार पर पहले भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वह राजपत्रित अधिकारी से कम रैंक के नहीं होने वाले वन अधिकारी को ट्री ऑफिसर नियुक्त करे।

याचिकाकर्ता की और से कोर्ट को यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने अबतक ट्री ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की है। जिस पर भी कोर्ट ने नाराज़गी जताई और राज्य सरकार को निर्देशित कर कहा-पेड़ कटाई के लिए ट्री ऑफिसर की नियुक्ति करें।

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पर विकसित होंगी टीपीएस योजनाएं

इंदौर। शासन ने तय किया है कि जितने भी महत्वपूर्ण फोरलेन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं उन पर आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक सहित आईटी से जुड़ी गतिविधियों को लाया जाए, जिसमें इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर भी शामिल है।

सभी प्रमुख कॉरिडोर पर आएंगी आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक गतिविधियां, एमपीआरडीसी करेगा कंसल्टेट की नियुक्ति, टेंडर के जरिए बुलवाए प्रस्ताव

50 किलोमीटर लम्बा यह फोरलेन एक्सप्रेस-वे सिंहस्थ के मद्देनजर निर्मित किया जा रहा है, जिसमें भू-अर्जन की प्रक्रिया भी इन दिनों चल रही है। इस कॉरिडोर सहित अन्य का निर्माण मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम यानी एमपीआरडीसी द्वारा कराया जा रहा है और अब उसमें कंसल्टेंट की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया है, जिसके लिए टेंडर के जरिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसमें भोपाल के पश्चिमी ग्रीन फील्ड बायपास सहित अन्य प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। शासन का मकसद है कि इन फोरलेन कॉरिडोर के दोनों तरफ विभिन्न तरह की गतिविधियां विकसित कराई जाए, ताकि इन पर यातायात का दबाव तो बना ही रहे, साथ ही शहर विस्तार से जुड़ी योजनाओं का भी लाभ मिल सके।

अभी इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही है, जिस पर लगभग 2 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और इंदौर के पितृ पर्वत के पास से यह कॉरिडोर शुरू होगा, जो उज्जैन के चिंतामण गणेश तक बनेगा। इस फोरलेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के दोनों तरफ सर्विस लेन, 34 अंडरपास, दो फ्लायओवर और एक रेलवे ओवरब्रिज भी निर्मित होना है। कुछ समय पूर्व ही लुधियाना की कम्पनी को इसके निर्माण का ठेका दिया गया है और अभी सांवेर के 20 और हातोद के 28 गांवों की जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी तरह पिछले दिनों ही कैबिनेट ने भोपाल पश्चिमी ग्रीन फील्ड बायपास को भी मंजूरी दी और उसके साथ पूर्वी बायपास भी निर्मित होगा। इसी तरह उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड राजमार्ग और सिंहस्थ बायपास के अलावा जबलपुर रिंग रोड और उससे जुडऩे वाली सडक़ों पर भी इस तरह की गतिविधियां शुरू की जाएगी।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की आमसभा

इंदौर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव का जसविंदर सिंह आज 4 फरवरी शहर मे रहेगे। दोपहर 12-30 से इंदौर पार्टी की जिला कमेटी बैठक को संबोधित करेगे। बैठक में भाजपा की विनाशकारी अमेरिका के दबाव में लाई गई नीतियों का विस्तृत खुलासा रखेंगे और उससे कृषि क्षेत्र के अलावा 12 फरवरी चार मजदूर विरोधी श्रम कानून को लेकर श्रम संगठनों के संयुक्त आह्वान पर होने वाली देशव्यापी हड़ताल मे पार्टी कार्यकर्ताओ कि भूमिका को स्पष्ट करेंगे।आर्थिक दरिद्रता की ओर बढ़ाने वाले बजट को लेकर शाम 4-00 बजे रुस्तम के बगीचे पर होने वाली सभा को संबोधित करेगे। पार्टी जिला सचिव का अरुण चौहान, पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य कैलाश लिंबोदिया, सीटु जिला सचिव सिएल सारावत, भागीरथ कछवाह ने जनसंगठन के साथियों को आम सभा मैं अपने साथियों के साथ शामिल होने की अपील कि है।

हेमशंकर पाठक के छायाचित्रों की तीन दिवसीय प्रदर्शनी

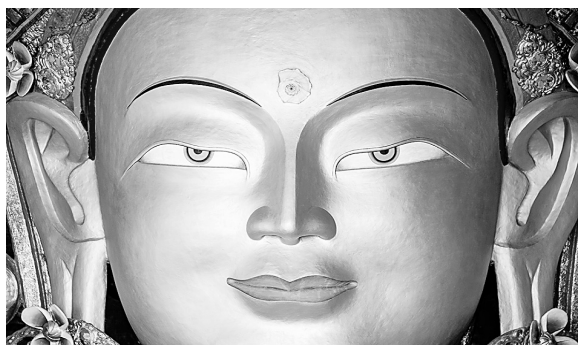

इंदौर। इन्दौर के वरिष्ठ फोटोग्राफर हेमशंकर पाठक के छायाचित्रों की तीन दिवसीय प्रदर्शनी प्रीतमलाल दुआ सभागृह में 6 से 8 फरवरी तक लगने जा रही है। इसमें हेमशंकर पाठक के रंगीन और श्वेत-श्याम 81 छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें एक तरफ फोटोग्राफी की कलात्मकता दिखाई देगी तो दूसरी तरफ जीवन के स्पंदन को महसूस किया जा सकेगा। प्रदर्शनी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे सभी कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी।

सरकारी वादा

क्या सरकार अभी भी असमंजस में है?

समाचार।

सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के नारे से समानता का वादा किया था।

टिप्पणी।

भला हो सुप्रीम कोर्ट का जो यूजीसी की नई गाइडलाइन पर रोक लगा दी, वरना सरकारी वादा झूठा हो जाता ?

बी एल शर्मा
अकिंचन तराना-उज्जैन

SMFG India Credit
Pragati Ki Nayi Pehchaan

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
कार्पोरेट कार्यालय: 2 नार्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, 10वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला काम्लेक्स बांद्रा (ई), मुंबई - 400051

आधिपत्य की सूचना
(अचल संपत्ति बाबद)
(अंतर्गत नियम 8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002)

यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड** पंजीकृत कार्यालय कॉमर्शियल झोन आईटी पार्क , टॉवर बी पहली मंजिल, क्रमांक 111 माउंट पुन्नामल्ली रोड, पोरूर, चेन्नई- 600116, कॉर्पोरेट कार्यालय 2 नार्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, 10वीं मंजिल बांद्रा कुर्ला काम्लेक्स बांद्रा (ई), मुंबई - 400051 के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 54 सन 2002) एवं अधिनियम की धारा 13 (12) सहपठित नियम 3 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए निम्न वर्णित ऋणिगणों को डिमांड नोटिस जारी करते हुए उनके ऋण खाता के अंतर्गत बकाया निकल रही राशि को नोटिस प्राप्त होने से 60 दिवस की अवधि में भुगतान करने की मांग की थी। चूंकि निम्न वर्णित ऋणिगण नोटिस में वर्णित बकाया राशि का भुगतान करने में विफल हो गए हैं। अतएव ऋणीगणों को एवं सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा निम्न वर्णित संपत्तियों का अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सहपठित नियम 8 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत आधिपत्य प्राप्त कर लिया है।

क्रं.	ऋणीगणों/सहऋणीगणों/जमानतदारों के नाम एवं ऋण खाता क्रमांक	डिमांड नोटिस की तिथि एवं राशि	बंधक रखी गई सम्पत्ति का वर्णन	आधिपत्य की तिथि व प्रकार
1.	1. सैनी पान सेन्टर 2. विनोद नत्थूलाल 3. सपना सैनी 4. प्रज्वल सैनी (ऋण खाता क्रं. (269401311615075)	27/10/2025 रु. 81,96,814/- (रुपये इक्यासी लाख छियानवे हजार आठ सौ चौदह सिर्फ)	भूखंड क्रमांक 20 पर स्थित दुकान (बगैर तल व छत के) योजना क्रं. 11, वार्ड क्रं. 14, नगर पालिका नीमच के क्षेत्र में तहसील व जिला नीमच (म.प्र.) भूखंड का कुल क्षेत्रफल 24.55 वर्गमीटर, चर्तुसीमा : पूर्व : जिंदलजी की भूमि, पश्चिम : सड़क, उत्तर : जिंदलजी की भूमि दक्षिण : जिंदलजी की भूमि	29/01/2026 (सांकेतिक आधिपत्य)

ऋणीगणों को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि वे निम्न वर्णित संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार नहीं करें। इन संपत्तियों के संबंध में किए गए किसी भी तरह के संव्यवहार पर एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड का उपरोक्त वर्णित **बकाया राशि** एवं आगे की अवधि का ब्याज जोड़ते हुए कुल राशि प्रभार रहेगा। ऋणीगण का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) में प्रतिभूत आस्ति को बकाया राशि का भुगतान कर वापस प्राप्त करने हेतु उपलब्ध समय अवधि की तरफ भी आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 04.02.2026
स्थान : नीमच (म.प्र.)

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

सिस्ट्रो टेलीलिंक लिमिटेड
CIN : L19201MP 1992 PLC 0006925
पंजीकृत कार्यालय : 206, एरियन हाईट्स, एबी रोड इंदौर, इंदौर मध्यप्रदेश, भारत 452010
फोन नं. 0731-2555022, फैक्स नं. 0731-2555722
ई मेल आईडी cistrotelelink@gmail.com वेबसाईट www.cistrotelelink.com

नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल इंदौर खण्डपीठ के समक्ष याचिका क्र. सीपी क्र. 4 (एमपी) वर्ष 205
(आवेदन अंतर्गत धारा 66 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधान एवं एनसीएलटी (कम्पनी की अंश पूंजी घटाने की प्रक्रिया) नियम, 2016)
सिस्ट्रो टेली लिंक लिमिटेड की अंश पूंजी घटाने के मामले में
सिस्ट्रो टेलीलिंक लिमिटेड
CIN : L19201MP 1992 PLC 0006925
पंजीकृत कार्यालय : 206 एरियन हाईट्स
एबी रोड, मध्यप्रदेश भारत, 452010 ....**आवेदक कम्पनी**

माननीय नेशनल कम्पनी लॉ बोर्ड इंदौर खण्डपीठ के समक्ष अंश पूंजी घटाने की अनुमति एवं मिनिट्स के पंजीकरण की सूचना

यह सूचित किया जाता है कि नेश्नल कम्पनी लॉ बोर्ड, खण्डपीठ इंदौर ('एनसीएलटी') द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 के तहत उपरोक्त कम्पनी याचिका पूर्ण हो गई थी व अंशपूंजी घटाने के मिनिट्स को मंजूरी प्रदान की गई है।

दिनांक 21 जनवरी 2026 को माननीय एनसीएलटी इंदौर खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश के तहत मंजूरी प्राप्त मिनिट्स का प्रारूप इस प्रकार है-

मिनिट्स का प्रारूप

'सिस्ट्रो टेलीलिंक लिमिटेड के जारी, सबस्स्क्राईप्ड व पेड अप अंश पूजी रु. 3,08,05,800 (भारतीय रुपए में तीन करोड़, आठ लाख, पांच हजार आठ सौ सिर्फ) रु. 1/- का इक्विटी शेयर (भारतीय एक रुपया सिर्फ)। प्रत्येक पूर्ण रूप से वर्तमान पेड अप अंशपूंजी 5,13,43,000 (पांच करोड़ तेरह लाख तिरयालिस हजार सिर्फ) को 5,13,43,000 (पांच करोड़ तेरह लाख तिरयालिस हजार सिर्फ) से प्रत्येक 1 रुपये (भारतीय एक रुपये सिर्फ) के इक्विटी शेयर से भाग दिया गया।

दिनांक : 04 फरवरी, 2026
स्थान : इंदौर

सिस्ट्रो टेली लिंक लिमिटेड तर्फे
हस्ता/- अरुणकुमार शर्मा
निदेशक (डीआईएन : 00369461)

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

विविध कार्य

डब्ल्यू/623/एनआईटी/1, दिनांक : 29/01/2026, मंडल रेल प्रबंधक /मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, के लिये ''खुली निविदा'' ई–निविदा के माध्यम से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है।

ई–निविदा सं. एवं कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹)	बयाना राशि (₹)
1. आरटीएम–2025–26–139. चंदेरिया–धोसवास सेक्शन – स्टाफ क्वार्टर (सीओआर, एसएमपी, जीआरएफ एवं एनबीएच रेलवे कॉलोनी) में पानी की आपूर्ति और ड्रेनेज सुविधा का सुधार।	2,34,09,347.19	2,67,100
2. आरटीएम–2025–26–140. नीमच–मंदसौर सेक्शन – एसएसई/पी.वे/नीमच ऑफिस, डिपो और स्टोर में बिजली के काम सहित सुधार।	1,30,49,858.15	2,15,300
3. आरटीएम–2025–26–172. डॉ. अंबेडकर नगर (डीएडीएन) – खराब क्वार्टरों (टी/190ए से एन=14 नग, टी/193ए से एफ–06 नग) के स्थान पर 20 यूनिट टाइप 2 क्वार्टर उपलब्ध कराना जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	4,47,69,420.29	3,73,900
4. आरटीएम–2025–26–173. रतलाम डिवीजन– अजनोद–12 नग और पालिया–08 नग (कुल 20 नग) टाइप 2 क्वार्टर उपलब्ध कराना जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	4,51,08,038.26	3,75,600
5. आरटीएम–2025–26–174. निम्बाहेड़ा– खराब क्वार्टर नं. जी–33ए से एच–8 नग और टी/16ए से बी–2 नग (कुल 10 नग) के स्थान पर टाइप 2 स्टाफ क्वार्टर (10 नग) का निर्माण जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	2,28,76,170.64	2,64,400
6. आरटीएम–2025–26–175. सीएनए–आरटीएम सेक्शन– विभिन्न स्टेशनों, एलसी गेट और गैंग चौल पर 2 वर्ष के लिए टैंकर से पीने के पानी की आपूर्ति।	54,55,440.64	1,09,100
7. आरटीएम–2025–26–176. बेराच–बेराच केबिन पर एक साथ रिसेप्शन सुविधा के साथ पूरी लंबाई की दूसरी लूप लाइन का प्रावधान।	1,26,11,336.07	2,13,100
8. आरटीएम–2025–26–177. 1. चित्तौड़गढ़– पीएफ लाइन नं 2 (डीएन एमएल), पीएफ लाइन नं. 4 (कॉमन लूप लाइन) और पीएफ नं. 5 (अप लूप लाइन) पर ब्लास्ट लैस ट्रैक का प्रावधान और 2. उज्जैन स्टेशन– पीएफ नं. 1 (डाउन मेन), पीएफ नं. 3/4 (लूप), पीएफ नं. 5 (लूप) और पीएफ नं. 6 (लूप) लाइन पर ब्लास्टलैस ट्रैक का प्रावधान।	33,37,98,534.58	18,19,000
9. आरटीएम–2025–26–179. 1. राजेंद्र नगर–सिंहस्थ 2028 के संबंध में स्टेबलिंग लाइन का प्रावधान और 2. लेकोडा में सिंहस्थ 2028 के संबंध में मौजूदा "डी" क्लास को "बी" क्लास में अपग्रेड करना जिसमें बिजली का काम भी शामिल है।	17,46,63,526.01	10,23,300
10. आरटीएम–2025–26–180. डीईएन नॉर्थ आरटीएम क्षेत्राधिकार के तहत हुक बोल्ट के लिए साइज़ एम–27 लॉक नट एम 027 के लिए सिंगल पीस स्प्रिंग इंसर्टेड रियूजेबल सीज़ नट प्रदान करना और लगाना।	55,71,467.20	1,11,400
11. आरटीएम–2025–26–181. चंदेरिया–रतलाम फतेहाबाद सेक्शन–डिवीजन इंजीनियर (नॉर्थ) रतलाम के क्षेत्राधिकार में टिम्बल गेदो वोर्सिस ट्रॉली सिस्टम का उपयोग करके प्री और पोस्ट टैम्पिंग ट्रैक माप सर्वेक्षण।	62,07,081.57	1,24,200
12. आरटीएम 2025–26–182. रतलाम डिवीजन–जीआरपी थाना/बैरक में सुधार/मरम्मत (7 स्टेशन – दाहोद एस, एमजीएन, सीओआर, यूजेएन, एसईएच, आईएनडी और डीएडीएन) का सुधार/मरम्मत।	52,45,620.57	1,04,900

अनुमानित मात्रा : क्र.सं.–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए – निविदा अनुसूची के अनुसार। **निविदा प्रपत्र का मूल्य :** क्र.सं.– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए – शून्य। **कार्य समापन अवधि :** क्र.सं.–1, 2, 5, 7, 10, 11 और 12 के लिए – 12 महीने। क्र.सं.– 3, 4 और 9 के लिए– 18 महीने। क्र.सं.– 6 और 8 के लिए – 24 महीने। **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि :** क्र.सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए – 29.01.2026. **निविदा खुलने की तिथि :** क्र.सं. 1 और 6 के लिए – 20.02.2026. क्र.सं. 2, 9 और 12 के लिए – 24.02.2026. क्र.सं. 3, 4 और 5 के लिए– 02.03.2026. क्र.सं. 7 के लिए – 06.03.2026. क्र.सं. 8, 10 और 11 के लिए – 27.02.2026. • विस्तृत निविदा सूचना, अर्हता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइटः **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

SNP-440

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly